



2026:AHC: 64160

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक अपील संख्या - 7248/2023

फिरोज और एक अन्य

.....अपीलार्थी(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और एक अन्य

.....प्रत्यर्थी(गण)

अपीलार्थी(गण) के अधिवक्ता : अनिल कुमार

प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 53

माननीय न्यायमूर्ति अब्दुल शाहिद

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता और विपक्षी संख्या 2 के विद्वान अधिवक्ता श्री सुनील कुमार सिंह को सुना।
2. अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 14-ए(1) के अंतर्गत यह आपराधिक अपील अनन्य विशेष न्यायाधीश (एस.सी./एस.टी. अधिनियम), कासगंज द्वारा जारी संज्ञान/तलबी आदेश दिनांक 26.02.2021 और आरोप-पत्र संख्या 44/2021 दिनांक 10.02.2021 के साथ-साथ विशेष वाद संख्या 185 वर्ष 2021 (राज्य बनाम फिरोज और अन्य), जो मुकदमा अपराध संख्या 440 वर्ष 2020, धारा 279, 338, 504, 506 भा.द.सं. और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 (संशोधन 2015) की धारा 3(1)(आर)(एस), पुलिस स्टेशन- सहावर, जिला- कासगंज से उत्पन्न है, जो विशेष न्यायाधीश एस.सी./एस.टी. अधिनियम, कासगंज के न्यायालय में लंबित है, की संपूर्ण कार्यवाहियों के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



3. इस न्यायालय के समक्ष पक्षकारों ने यह अनुरोध किया है कि उन्होंने इस मामले में समझौता कर लिया है और अपने बीच के सभी विवादों को सुलझा लिया है तथा अब वे इस मामले में आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं। यह आगे प्रस्तुत किया गया है कि इस न्यायालय के आदेश दिनांक 22.09.2023 के अनुपालन में, पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत समझौता विलेख का विशेष न्यायाधीश (एस.सी./एस.टी. अधिनियम), कासगंज द्वारा सत्यापन कर दिया गया है। अभिलेख आगे यह प्रकट करता है कि सत्यापन रिपोर्ट दिनांक 25.10.2023 भी प्राप्त हो गई है, जो अभिलेख पर है।

4. अपीलकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया है कि पक्षकारों के बीच हुआ समझौता इस मामले के सूचक पर किसी दबाव या अनुचित प्रभाव के बिना किया गया है और यह पक्षकारों की स्वतंत्र इच्छा और सहमति का परिणाम है।

5. अभिलेख के परिशीलन से यह प्रतीत होता है कि वर्तमान मामला पूर्णतः निजी विवाद की प्रकृति का है और प्रथम दृष्टया यह भी प्रतीत होता है कि कथित अपराध सूचक की जाति के कारण नहीं किया गया है और एस.सी./एस.टी. अधिनियम के अंतर्गत कुछ अपराधों को छोड़कर, अभियुक्त के विरुद्ध मामूली अपराधों के आरोप लगाए गए हैं। इसके अलावा, पक्षकारों के बीच समझौता किसी अनुचित प्रभाव के बिना सूचक-विपक्षी संख्या 2 की स्वतंत्र इच्छा और सहमति का परिणाम है।

6. क्या एस.सी./एस.टी. अधिनियम के अंतर्गत अपराध से संबंधित किसी मामले में समझौते का सत्यापन और उसे स्वीकार किया जा सकता है, इस प्रश्न का उत्तर सर्वोच्च न्यायालय ने **रामावतार बनाम मध्य प्रदेश राज्य (2022) 13 एस.सी.सी. 635** के वाद में दिया है। उक्त निर्णय का प्रस्तर संख्या 17 नीचे उद्धृत है:-

"17. दूसरी ओर, जहां न्यायालय को यह प्रतीत होता है कि प्रश्नगत अपराध, यद्यपि एस.सी./एस.टी. अधिनियम के अंतर्गत आता है, मुख्य रूप से निजी या सिविल प्रकृति का है, या जहां कथित अपराध पीड़िता की जाति के कारण नहीं किया गया है, या जहां विधिक कार्यवाहियों को जारी रखना विधि की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा, तो न्यायालय कार्यवाहियों को अभिखंडित करने के लिए अपनी शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। इसी तर्ज पर, किसी समझौते/निपटारे के आधार पर अभिखंडित करने की प्रार्थना पर विचार करते समय, यदि न्यायालय संतुष्ट है कि अधिनियम के अंतर्निहित उद्देश्य का उल्लंघन नहीं होगा या यह कम नहीं होगा भले ही प्रश्नगत

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



अपराध बिना दंड के रह जाए, तो केवल यह तथ्य कि अपराध एक विशेष कानून के अंतर्गत आता है, इस न्यायालय या उच्च न्यायालय को संविधान के अनुच्छेद 142 या दं.प्र.सं. की धारा 482 के अंतर्गत अपनी-अपनी शक्तियों का प्रयोग करने से नहीं रोकेगा।"

7. उक्त निर्णय के प्रस्तर संख्या 19 में आगे यह अभिनिर्धारित किया गया है, जो नीचे उद्धृत है:-

"19. हम यह जोड़ने में तत्परता दिखा सकते हैं कि वर्तमान जैसे मामलों में, न्यायालयों को यह सुनिश्चित करने के लिए और भी अधिक सतर्क रहना चाहिए कि परिवादी-पीड़िता ने अपनी स्वतंत्र इच्छा से समझौता किया है और किसी दबाव के कारण नहीं। इस बात को कम करके नहीं आंका जा सकता है कि चूंकि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्य हमारे देश के कमजोर वर्गों से संबंधित हैं, इसलिए वे दबाव के कृत्यों के प्रति अधिक संवेदनशील हैं, और इसलिए उन्हें उच्च स्तर का संरक्षण प्रदान किया जाना चाहिए। यदि न्यायालयों को मजबूरी या बल प्रयोग का जरा सा भी संकेत मिलता है, तो अभियुक्त पक्ष को कोई अनुतोष नहीं दिया जा सकता है। न्यायालयों को किन कारकों पर विचार करना चाहिए, यह प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करेगा।"

8. गुलाम रसूल खान और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य, 2022 (8) ए.डी.जे. 691 के वाद में पूर्ण पीठ के निर्णय के परिशीलन से यह प्रकट होता है कि एस.सी./एस.टी. अधिनियम के अंतर्गत किसी मामले का एस.सी./एस.टी. अधिनियम की धारा 14-ए(1) के अंतर्गत आपराधिक अपील में शमन किया जा सकता है और इसके लिए दं.प्र.सं. की धारा 482 का सहारा लेने की कोई आवश्यकता नहीं है।

9. पूर्वोक्त के दृष्टिगत, यह न्यायालय पाता है कि चूंकि पक्षकारों ने समझौता कर लिया है जिसका विचारण न्यायालय द्वारा पहले ही सत्यापन किया जा चुका है, अनन्य विशेष न्यायाधीश (एस.सी./एस.टी. अधिनियम), कासगंज द्वारा जारी संज्ञान/तलबी आदेश दिनांक 26.02.2021 और आरोप-पत्र संख्या 44/2021 दिनांक 10.02.2021 की संपूर्ण कार्यवाहियों के साथ-साथ विशेष वाद संख्या 185 वर्ष 2021 (राज्य बनाम फिरोज और अन्य), जो मुकदमा अपराध संख्या 440 वर्ष 2020, धारा 279, 338, 504, 506 भा.द.सं. और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 (संशोधन 2015) की धारा 3(1)(आर)(एस), थाना- सहावर,

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



जिला- कासगंज से उत्पन्न है, जो विशेष न्यायाधीश एस.सी./एस.टी. अधिनियम, कासगंज के न्यायालय में लंबित है, की संपूर्ण कार्यवाहियां एतद्वारा अभिखंडित की जाती हैं और दोनों पक्षकारों के बीच हुए समझौते के संदर्भ में वर्तमान आपराधिक अपील स्वीकार की जाती है।

(न्यायमूर्ति अब्दुल शाहिद)

26 मार्च, 2026

के.के. मौर्य

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”